5-10-17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वकील वादी ने साक्ष्य पेश कर अंतिम निर्णय की पेश कथ की। वादी की बहस सुनी गई। वादी के समस्त पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अध्ययन किया गया। पेश गवाहान व शपथपत्रों का मनन किया गया। चूंकि पत्रावली 13-9-2016 से चल रही है प्रतिवादीगण बावजूद तामील के उपस्थित नहीं हो रहे हैं प्रतिवादी

पूर्व में Ex-parte किए जा चुके हैं।
वादीगण द्वारा बताया गया कि इनके
वादी-प्रतिवादी के पूर्वजों की पैतृक
(बाप दादा) की जमीन इनके बाप दादा के
समय से मौजा खसरा नं. 736, 737, 740,
961, 974, 976 कुल कीता - 6 रकबा
48 बीघा 12 बिस्वा बड़िया के नाम से
था जिनके बड़िया के दो पुत्र थे।
कन्हैया व धुलिया। राजस्व रिकार्ड
के जमीन कन्हैया, धुलिया पितागण
बड़िया के नाम से थी लेकिन 2026
30 संवत में यह जमीन रामला,
लछिमा पिता धुलिया के नाम हो
गयी ~~जिसे~~ जो बाद में संवत 2040-41
में राजस्व रिकार्ड में दुरुस्तीकरण
कन्हैया, धुलिया पिता बड़िया के नाम
दर्ज रिकार्ड है इसके पश्चात संवत
2044 में पुनः सेटलमेन्ट के दौरान
इन खसरों 736, 737, 740, 961, 974,
976 रकबा 48 बीघा 12 बिस्वा के नये
खसरा नं० 4590, 4591, 4593, 4603,
4604, 4605, 5579, 5590, 5582, 5584,
5587, 5291, 8154/5289, 8155/5293, 8156/5292
कुल कीता 15 रकबा 6.68 हेक्टर बना/
(8)

इस नवीन सेटलमेंट 2054 के बाद बनी नयी पजाबंदी मे ललिया पिता धुलिया, गांगली पि० रामला पु० हेमती केवा रामला भील खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इसके बाद निरन्तर लाछिया वगैरा का नाम ही दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा दर्ज रिकार्ड मे शुद्धि कर कन्यालिया वगैरा का नाम भी दर्ज रिकार्ड किया ~~जाना~~ जाने का अनुरोध किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

उपरोक्त बहस, पत्रावली, गवाह बयान, सम्बन्धित ~~साक्ष्यो~~ का अवलोकन किया। अवलोकन से पाया गया कि उपरोक्त आपे वादी-प्रतिवादी के पूर्वजो भीयी तथा दौरान वन्द सेटलमेन्ट कन्यालिया पिता ~~बडीया~~ का नाम छुट गया अतः आदेश दिया जाता है कि पुराने खसरा नं० 736, 737, 740, 961, 974, 977 के नवीन खसरा नं० ग्राम डुगलावानी कैम्प बीन खाता नं० 187 अराजी नं० 4590 रकबा 0.30 हे., 4591 रकबा 0.25 हे., 4593 रकबा 0.34 हे., 4603 रकबा 0.30 हे., 4604 रकबा, 0.35 हे., 4605 रकबा 1.05 हे.

\ खाता नवीन खाता नं० 127 व 95

में आराजी नं. 5579 रकबा 0.34 हे. 5590 रकबा 1.10 हे., 5582 रकबा 0.19 हे., 5584 रकबा 0.21 हे., 5587 रकबा 0.48 हे. तथा ग्राम नालपाड़ा नवीन खाता नं० 119 में आराजी नं० 5291 रकबा 1.14 हे., 8154/5289 रकबा 0.28 हे., 8155/5293 रकबा 0.22 हे., 8156/5292 रकबा 0.08 हे. में कचरीया पिता बडीया के वारिसान का आधा हिस्सा (½ हिस्सा) दर्ज रिकार्ड किया जाए।

अनुतोष

पत्रावली मे बटवारा का ~~अनु~~ भी मांगा गया है लेकिन जब तक डीग्री जारी होकर खातेदार दर्ज रिकार्ड नही हो पाता बटवारा सम्भव नहीं है अतः उपरोक्त खसरात में शुद्धि होकर दर्ज रिकार्ड खातेदार होने पर पुनः बटवारा का दावा पेश किया जाए वर्तमान बटवारा अनुतोष सम्भव नहीं है।

पत्रावली मुकम्मल शुदा होकर ~~दर्ज~~ दाखिल दफ्तर हो।

[signature] /10/17

उपखण्ड अधिकारी
पिपलखूंट जि. प्रतापगढ़

संशोधित

Scanned by CamScanner